

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग, नैनीताल/पौड़ी।
2. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।
3. परियोजना निदेशक,
कालसी प्रक्षेत्र देहरादून/मक्कू प्रक्षेत्र रुद्रप्रयाग/भरारीसैण प्रक्षेत्र चमोली/नरियालगांव
प्रक्षेत्र चम्पावत/पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश/लघुपशु विकास पौड़ी/रोग अनुसंधान अधिकारी,
श्रीनगर गढवाल।
4. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
यू0एल0डी0बी0देहरादून/शीप बोर्ड देहरादून।
5. निदेशक,
उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर, उधमसिंहनगर।


संख्या 1845/स्था0एक/सं0नि0-पदस्थापना/12-13 दिनांक 27 अगस्त, 2012
विषय :-संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन पशुपालन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 791/XV-1/12/2(5)/11 दिनांक 27 अगस्त, 2012 के द्वारा संलग्न सूची में उल्लिखित संयुक्त निदेशक/समकक्ष स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर की गयी है। शासन द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये ही नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने वाले अधिकारियों को स्वतः ही कार्यमुक्त समझा जायेगा।

शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप की छाया प्रति संलग्न कर आपको उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उक्तानुसार।

भवदीय,

(डा०कमल मेहरोत्रा)
निदेशक।

पृ0सं0 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित अधिकारियों को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
3. संयुक्त सचिव, पशुपालन उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. निजी सचिव, मान0मंत्री जी, पशुपालन उत्तराखण्ड सरकार देहरादून को मान0मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा०कमल मेहरोत्रा)
निदेशक,

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-1
संख्या:- 79 / XV-1 / 12 / 2(5) / 11
देहरादून : दिनांक 27 अगस्त, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को शासनादेश संख्या-1244/XV-1/ 2(6)/10 दिनांक 30 नवम्बर, 2011 के द्वारा पदोन्नत किया गया था तथा पदोन्नत आदेश में यह इंगित किया गया था कि इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। अतः तत्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित संयुक्त निदेशक/समकक्ष स्तर के अधिकारियों को उनकी पदोन्नति के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क. स.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन पदस्थापना का स्थान	अभ्युक्ति
1	डा० पी०एस०भण्डारी संयुक्त निदेशक	पशुचिकित्सालय जसपुर ऊधमसिंहनगर	नरियाल गांव प्रक्षेत्र, चम्पावत	जनहित में
2	डा० देवेन्द्र शर्मा संयुक्त निदेशक	पशुचिकित्सालय फकोट, टिहरी	संयुक्त निदेशक, निदेशालय, मुख्यालय, देहरादून।	जनहित में
3	डा० आनन्द कुमार सच्चर, संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड मेड एंव ऊन विकास बोर्ड, देहरादून	संयुक्त निदेशक, निदेशालय, मुख्यालय, देहरादून।	जनहित में
4	डा० हरीश चन्द्र जोशी संयुक्त निदेशक।	पशुचिकित्सालय चम्पावत	उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड, ऋषिकेश देहरादून।	जनहित में
5	डा० उदयशंकर, संयुक्त निदेशक।	पशुचिकित्सालय ताड़ीखेत, अल्मोड़ा	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी	निजी अनुरोध
6	डा० सत्यस्वरूप संयुक्त निदेशक।	पशुचिकित्सालय दुगडडा, पौड़ी	परियोजना निदेशक, मेड प्रक्षेत्र मक्कू, रुद्रप्रयाग।	जनहित में
7	डा० प्रलयंकर नाथ, संयुक्त निदेशक।	पशुचिकित्सालय अजबपुर, देहरादून	परियोजना निदेशक, लधु पशु विकास पौड़ी	जनहित में
8	डा० रमेश सिंह नितवाल संयुक्त निदेशक	पशुचिकित्सालय पिथौरागढ़	उत्तराखण्ड ग्राम विकास संस्थान, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	जनहित में
9	डा० बी०एस०जंगपांगी संयुक्त निदेशक	पशुचिकित्सालय अल्मोड़ा	परियोजना निदेशक, कालसी प्रक्षेत्र देहरादून।	जनहित में
10	डा० डी०सी०एस० रावत	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, टिहरी	रोग अनुसंधान अधिकारी, रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, श्रीनगर	जनहित में

2. शासनादेश संख्या-1244/XV-1/ 2(6)/10 दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त पदोन्नत अन्य अधिकारीगण जो पूर्व से ही संयुक्त निदेशक/समकक्ष पदों पर कार्यरत हैं, वे यथावत अपनी तैनाती स्थल पर कार्य करते रहेंगे।

3. उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना ही, नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने वाले अधिकारियों को स्वतः ही कार्यमुक्त समझा जायेगा।

4. निजी अनुरोध पर किये गये स्थानान्तरणों हेतु सम्बन्धित अधिकारी को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(आर०सो० पाठक)
सचिव

संख्या 791 (1)/XV-1/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, गा० पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा० मंत्री जी के सद्दानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
7. सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा सु
dihim
(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव